कार्यालय कलेक्टर, रायपुर

प्रेस विज्ञप्ति

छत्तीसगढ़ शासन, संस्कृति विभागान्तर्गत प्रदेश के अर्थाभावग्रस्त लेखकों, कलाकारों एवं उनके आश्रितों को वित्तीय सहायता दिये जाने की योजना संचालित है।इसके अन्तर्गत ऐसे व्यक्तियों को जिन्होंने कला और साहित्य के विकास में योगदान दिया हो किन्तु जिनकी आर्थिक स्थिति बेहद खराब हो तथा ऐसे लेखकों, कलाकारों के आश्रितों/ परिवारों को जिन्हें वे निःसहाय छोड़ गये हों, नियमानुसार अधिकतम राशि 2000/– (दो हजार) मात्र वित्तीय सहायता के रुप में प्रतिमाह दिया जावेगा। छत्तीसगढ़ की उक्त सहायता योजना अन्तर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु पात्रता की शर्तो के अन्तर्गत आवेदक छत्तीसगढ़ का मूल निवासी हो, तथा आयु 60 वर्ष तथा उससे अधिक हो (न्यूनतम 60 वर्ष) ऐसे व्यक्ति का योगदान कला/ साहित्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय रुप से होना चाहिए। आवेदक की समस्त साधनों से होने वाली आय शासन द्वारा समय–समय पर निर्धारित सीमा से अधिक नहीं होना चाहिए। पात्रता एवं अर्हता संबंधी जानकारी संचालनालय संस्कृति की वेबसाईट www.cgculture.in से प्राप्त किया जा सकता है और आवेदन प्रारुप वेबसाईड www.cgculture.in एवं www.raipur.gov.in से डाऊनलोड किया जा सकता है अथवा कार्यालय कलेक्टर, रायपुर, कक्ष कमांक 21 से एवं उप संचालक (राजभाषा) संचालनालय, संस्कृति से भी निशुल्क प्राप्त किया जा सकता है।

मासिक आर्थिक सहायता हेतु संचालित उक्त योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदकों द्वारा अपना अभ्यावेदन निर्धारित प्रपत्र में पूर्ण रुप से भर कर एवं समस्त दस्तावेज संलग्न कर कार्यालय कलेक्टर रायपुर के कक्ष कमांक 21 में जमा कर सकते है। अधुरे/अपूर्ण आवदन जमा नही लिया जायेगा। मासिक आर्थिक सहायता हेतु प्राप्त आवेदन कलेक्टर की अनुसंशा सहित संचालक, संस्कृति एवं राजभाष को प्रेषित किया जावेगा, जहाँ प्राप्त आवेदन पत्रों का परीक्षण पश्चात पात्र पाये गये आवेदको को वित्तीय सहायता राशि का भुगतान आनलाईन (ईपेमेंट) के माध्यम से किया जायेगा।

छत्तीसगढ़ शासन, संस्कृति विभाग के अन्तर्गत कलाकार कल्याण कोष से आर्थिक सहायता योजना भी संचालित है। इसके अन्तर्गत छत्तीसगढ़ के मूल निवासी लेखकों/ साहित्यकारों/कलाकारों तथा उनके परिवारों के सदस्यों की लम्बी तथा गंभीर बिमारी, दुर्घटना, मृत्यु अथवा दैवीय विपत्ति की स्थिति में नियमानुसार अधिकतम राशि रुपये 25000.00 (पच्चीस हजार) मात्र की सीमा तक चिकित्सा/आंशिक क्षतिपूर्ति हेतु आर्थिक सहायता तत्काल उपलब्ध करायी जावेगी। इसके लिए पात्रता की शर्तो के अनुसार आवेदक शासकीय अथवा अर्द्धशासकीय कर्मचारी न हो। योजनान्तर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदक निर्धारित आवेदन प्रारुप उपरोक्तानुसार वेबसाईट से डाऊनलोड कर, पूर्ण भर कर एवं दस्तावेज संलग्न कर आवेदन सीधे संचालनालय को प्रेषित कर सकता है।

अपर कलेक्टर,
रायपुर

पृ. कमांक/ 398 /उ.लि./2014 रायपुर, दिनांक 19 / 8 /2014

प्रतिलिपि :–

1. उप संचालक, जन सम्पर्क, सूचना एवं प्रकाशन विभाग, रायपुर को दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन कराने हेतु सूचनार्थ।
2. जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, जिला सूचना प्रसारण केन्द्र, कक्ष क. 15 को जिले की वेबसाईड में अपलोड करने हेतु।

अपर कलेक्टर,
रायपुर